

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08.10.2026	<u>आदेश</u> निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या 2370 दिनांक 15.07.2026 के विरुद्ध श्री रविशंकर कुमार (Emp. ID No.-AEN13148), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम-8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपील दायर किया गया है। निर्धारित तिथि एवं समय पर निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, परन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित पाए गए। अपीलार्थी द्वारा दायर वाद के आलोक में निदेशालय का पक्ष सुना गया। अपीलार्थी श्री कुमार द्वारा वर्ष 2024 में सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट, मध्यप्रदेश से निर्गत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष सर्वेक्षण अमीन (संविदा) के पद पर नियोजन प्राप्त किया गया था। निदेशालय पत्रांक 348 दिनांक 02.02.2026 के माध्यम से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय से कराया गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्रांक SPU/EXAM/FEB/2026/05 दिनांक 20.02.2026 द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को Not Verify किया गया। प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर निदेशालय पत्रांक 1852 दिनांक 04.06.2026 द्वारा दिया गया, परन्तु इनके द्वारा निर्धारित अवधि तक प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया। फलतः विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के आधार पर निदेशालय द्वारा इनका संविदा समाप्त किया गया है। अपीलार्थी की अनुपस्थिति में इनके द्वारा दायर अपील वाद का अवलोकन किया गया। अपील वाद में अंकित किया गया है कि इनके पिता जी की तबियत खराब थी, जिसके कारण मजबूरीवश स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर ये नहीं दे पाए। समर्पित अपीलवाद में प्रमाण पत्र की सत्यता के संबंध में न ही कोई तथ्य दिया गया है और न ही कोई साक्ष्य समर्पित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का आरोप है, जिसके लिए नियोक्ता द्वारा इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया परन्तु इनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। साथ ही अपील की सुनवाई में उपस्थित न होकर इनके द्वारा अपील न्यायालय की अवमानना की गयी है।	

अपीलार्थी का अनुपस्थित रहना तथा अपीलवाद के साथ कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। ज्ञात होता है कि संभवतः अपीलार्थी के पास अपने प्रमाण पत्र की सत्यता को प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण अपीलार्थी सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं।

अतः प्रतिवादी द्वारा संविदा समाप्ति के समर्थन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के विवेचनोपरांत अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपीलवाद को अस्वीकृत करते हुए संविदा समाप्ति आदेश को यथावत रखा जाता है।

सचिव
-सह-
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-08/2026.....3691

पटना, दिनांक :- 26/10/26

प्रतिलिपि :- श्री रविशंकर कुमार (Emp. ID No.-AEN13148), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
-सह-

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-08/2026.....3691

अपीलीय प्राधिकार
पटना, दिनांक :- 26/10/26

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
-सह-
अपीलीय प्राधिकार